भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 4041

उत्तर देने की तारीख- 19/12/2024

कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना

4041. श्री चंद्र प्रकाश चौधरी:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) झारखंड सरकार से कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के प्रस्ताव अब तक कितनी बार प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या 1931 की जनगणना के अनुसार कुड़मी समुदाय को आदिवासी जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था और छोटा-नागपुर क्षेत्र के कुड़मी समुदाय को बिहार के कुर्मी से अलग माना गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1950 में जब अनुसूचित जनजाति सूची तैयार की जा रही थी तब कुड़मी समुदाय को उससे बाहर रखा गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या अनुसूचित जनजाति सूची में कई समुदायों को शामिल करने की झारखंड राज्य सरकार की सिफारिश केंद्र सरकार के पास लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): झारखंड सरकार ने कुर्मी, कुड़मी (महतो) समुदाय को झारखंड की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए दिनांक 8.12.2004 और 6.1.2005 को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव के साथ नृवंशविज्ञान रिपोर्ट नहीं थी और इसलिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह नृवंशविज्ञान रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव भेजे। इसके बाद इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) और (ग): भारत के महापंजीयक ने सूचित किया है कि 1931 की जनगणना रिपोर्ट में छोटा नागपुर क्षेत्र के 'कुड़मी' के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है।

(घ) और (ङ): भारत सरकार ने 15.6.1999 को (25.6.2002 और 14.9.2022 को आगे संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में शामिल करने, बहिष्कृत करने और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के तौर-तरीके निर्धारित किए हैं। तौर-तरीकों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाना चाहिए और कानून में संशोधन किया जाना चाहिए जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/केंद्रीय शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और उचित ठहराया गया हो और जिन पर भारत के महापंजीयक (आरजीआई) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो। स्वीकृत तौर-तरीकों के अनुसार, किसी समुदाय को शामिल करने, बहिष्कृत करने और संशोधन के प्रस्तावों की जांच एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए, ऐसे कई प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर जांच के अधीन रह सकते हैं।

*****